[illegible]

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2023 G.C.M.S. No. 2023/155 दर्ज दिनांक : 23.05.2023

अपीलार्थी:

1. पारसमल पुत्र श्री समाजी, जाति माली, उम्र–वयस्क, निवासी–ग्राम चाणोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. स्वर्गीय भीमा उर्फ भीका पुत्र चिमनाजी के वारिसानः–
   1/1– राजाराम पुत्र भीमाजी, उर्फ भीकाजी, उम्र–बालिग,
   1/2– स्वर्गीय रमेश पुत्र भीमाजी, उर्फ भीकाजी,
   1/2/1– मंजु पत्नी स्वर्गीय रमेश जी,
   1/2/2– पंकज पुत्र स्वर्गीय रमेश जी
   1/2/3– दिया पुत्री स्वर्गीय रमेश जी,
   1/3 जवानमल पुत्र भीमाजी उर्फ भीकाजी, उम्र–वयस्क,
   1/4 बंशीलाल पुत्र भीमाजी उर्फ भीकाजी, उम्र–वयस्क,
   1/5 रकमो पत्नी भीमाजी उर्फ भीकाजी, उम्र–वयस्क,
2. स्व. रतीया पुत्र चिमनाजी के वारीशानः–
   2/1– घेवरचंद पुत्र स्व. रतीयाजी, उम्र बालिग,
   2/2– जेठाराम पुत्र स्व. रतीयाजी, उम्र बालिग
   2/3– जुहारमल पुत्र स्व. रतीयाजी, उम्र–वयस्क
   2/4– तारा पुत्री स्व. रतीयाजी, उम्र–वयस्क,
3. स्वर्गीय समाजी पुत्र नवाजी के वारीशान–
   3/1– चुन्नीलाल पुत्र समाजी, उम्र–वयस्क,
   3/2– मोहनलाल पुत्र समाजी, उम्र–वयस्क,
   3/3– स्वर्गीय तुलसाराम पुत्र स्वर्गीय समाजी के वारीशान–
   3/3/1– दिनेश पुत्र स्व. तुलसाराम, उम्र–बालिग,
   3/3/2–तेजाराम पुत्र स्व. तुलसाराम, उम्र–बालिग,
   3/3/3–मुकेश कुमार पुत्र स्व. तुलसाराम उम्र–बालिग,
   3/3/4– हेमा पुत्री पुत्र स्व. तुलसाराम उम्र–बालिग,
   3/3/5– रिया पुत्री स्व. तुलसाराम, उम्र–बालिग,
   3/3/3 से लगायत 3/3/5 नाबालिग जरिये संरक्षक भाई दिनेश कुमार,
   3/4– राधा पुत्री स्व. समाजी, उम्र– बालिग,
   3/5– शांति पुत्री स्व. समाजी, उम्र– बालिग,
   3/6– मेथी पुत्री स्व. समाजी, उम्र बालिग,
   3/7– गेनी पुत्री स्व. समाजी, उम्र बालिग,
   तमाम रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 01 से 03 जातिगण माली, निवासीगण ग्राम चाणोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान।
4. स्वर्गीय मांगीलाल उर्फ मगिया पुत्र गुणेशजी के कायम मुकाम–
   4/1– लच्छाराम पुत्र स्व. मांगीलाल, उम्र–बालिग,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4/2– स्व. दोलाराम पुत्र स्व. मांगीलाल, के वारीशान–
4/2/1– भावना पुत्री स्व. दोलाराम,
4/2/2– मीतु पुत्री स्व. दोलाराम,
4/2/3– पुजा पुत्री स्व. दोलाराम, नाबालिग
4/2/4– सीमा पुत्री स्व. दोलाराम, नाबालिग,
4/2/5– ललीत पुत्र स्व. दोलाराम, नाबालिग
4/2/6– सुखी पत्नी स्व. दोलाराम, बालिग जरिये 4/2/1 से 4/2/5 तक जरिये संरक्षक सुखी,
4/3– फेन्सी पुत्री स्व. मांगीलाल जी, उम्र–बालिग,
4/4– पुष्पा पुत्री स्व. मांगीलाल जी, उम्र बालिग,
4/5 मोहनी पुत्री स्व. मांगीलाल जी के का.मु.–
4/5/1 राजाराम पुत्र ओटाराम (पुत्र)
4/5/2 केसाराम पुत्र ओटाराम (पुत्र)
4/5/3 जसाराम पुत्र ओटाराम (पुत्र)
4/5/4 सुरेश पुत्र ओटाराम (पुत्र), जातिगण माली, निवासीगण मामावा बेरा, खुड़ाला, फालना, तहसील बाली व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

5. हरजी पुत्र श्री गुणेश जी उम्र बालिग,
6. स्वर्गीय पतीया पुत्र स्व. गुणेश के वारीशान–
6/1– रमेश पुत्र पतीया, नाबालिग,
6/2– किशन पुत्र पतीया, नाबालिग,
6/3– विक्रम पुत्र पतीया नाबालिग,
6/4– कैलाश पुत्र पतीया, नाबालिग
6/5– भरत पुत्र पतीया, नाबालिग,
6/6– जमनी पत्नी पतीया, बालिग,
6/1 से लगायत 6/5 तक नाबालिग जरिये संरक्षक जमनी, तमाम रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 04 से 06 जातिगण माली, निवासीगण–ग्राम चाणोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2012 बअनवान लच्छीया वगैरह बनाम हरजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, श्री कमलेश चौहान, श्री अरूण चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नरेश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 3/1, 3/2, 3/3/1 से 3/3/5
3. शेष रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 29.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2012 बअनवान लच्छीया वगैरह बनाम हरजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट्स व रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 01 से 03 की स्वअर्जित खातेदारी भूमि सरहद मौजा चाणोद प्रथम, पटवार हल्का चाणोद में आयी हुई हैं। उक्त खातेदारी भूमि में रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 04 से 06 का कोई हक हित नहीं हैं। क्योंकि उक्त भूमि दिनांक 25/04/1976 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 को बेच दिया था एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1658, रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1659, रकबा 0.81 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, गांव चाणोद जो कि सेटलमेंट से पूर्व खातेदारान भीका, रतीया, पुत्रगण चीमनाजी, 1/4 हिस्सा, समिया पुत्र नवला 1/4 हिस्सा, गुणेश पुत्र पन्ना का 1/2 हिस्सा दर्ज था। जिसके गत खसरा नम्बर 854/2230, रकबा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा एवं खसरा नम्बर 854 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, किस्म चाही प्रथम दर्ज थी। गुणेश पुत्र पन्ना की मृत्यु के पश्चात खतौनी सवंत 2027 से 2030 में प्रतिवादी मांगीलाल व हरजी व पतीया के नाम दर्ज थीं यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र गणेश, हरजी पुत्र गणेश, पतीया पुत्र गणेश के दर्ज थीं, जिन्होंने दिनांक 04/04/1973 को अपना तमाम हक हिस्सा अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 के हक में जरिये बेचाण कर रजिस्टर्ड पंजीयन दिनांक 25/04/2023 को प्रतिफल लेकर करवा दिया था तब से लेकर रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 04 से 06 का अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा और न ही आज है। उक्त विक्रय–विलेख का दस्तावेज उपपंजीयक बाली में दिनांक 25/04/1973 को बही संख्या 01, जिल्द संख्या 02, क्रम संख्या 385, पृष्ठ संख्या 351 से 352 पर पंजीबद्ध होकर रेकर्ड में मौजूद है। राजस्व रेकर्ड में उक्त पंजीयन दस्तावेज का नामान्तरण नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलाण्ट द्वारा बअनवान वादी स्वर्गीय भीमा वगैरा बनाम प्रतिवादीगण स्वर्गीय मांगीलाल वगैरा का प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त बेचाण दिनांक 04/04/1973 का राजस्व रेकर्ड में इंद्राज नहीं किये जाने से सेटलमेंट के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर कब्जा व खातेदार व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नहीं किया। जिसकी आड़ में जैर अपील अपीलाण्ट आदेश में मिलावट कर लच्छा पुत्र मगाजी व दोलत पुत्र मगाजी माली, तथा हरजी पुत्र गणेश जी व प्रताप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र गणेशजी ने एक षडयंत्रपूर्वक आपसी मिलावट कर अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी. एक्ट 1955 का पेश किया एवं न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, तथा पत्रावली को मिलावट कर एक राजीनामा अन्य खसरा नम्बरान की भूमि को शामिल करते हुए राजस्व वाद का निर्णय दिनांक 06/07/2015 करवा दिया एवं उसके अनुरूप हक अधिकार खातेदारी घोषित करने की डिक्री करवा दी एवं उसी के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण पारित करवा दिया। जबकि खसरा नम्बर 1658 व 1659 की भूमि पूर्व में खातेदारों द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 के पक्ष में बेचाण किया जा चुका था। उक्त आदेश वादी एवं प्रतिवादी की दुरभिसंधि से मिलावट कर पारित किया गया है तथा मौके पर कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली गयी तथा बंटवाडा बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा 183 आर.टी. एक्ट के तहत किसको बेदखल करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तथा यदि वादी एवं प्रतिवादी की खातदारी भूमि रेकर्ड में हैं तो हक खातेदारी घोषित करने की क्या आवश्यकता थीं तथा हक खातेदारी किन व्यक्तियों के विरूद्ध घोषित की गयी, का जिक्र नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम चाणोद के खसरा नम्बर 1658 व 1659 अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 के पूर्वजों ने दिनांक 04/04/1973 के जरिये जरिये बेचाण के खरीद कर दिनांक 25/04/1973 को पंजीयन करवाया जा चुका था एवं दोनों खसरों पर कब्जा आज भी अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 का है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के वादी एवं प्रतिवादी का उक्त भूमि पर वक्त बेचाण के बाद कोई कब्जा नहीं था एवं जिनका कब्जा था, उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के वादी व प्रतिवादी दोनों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूलवश थें, जबकि भूमि पर कब्जा नहीं होने से वे किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थें एवं न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये थें तथा तथ्य छुपाकर आदेश पारित करवाया है। अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के कारण इस आदेश से प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06/07/2015 व राजस्व वाद संख्या 27/2015 में अपीलांट पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को यह जानकारी नहीं थीं कि रेस्पोंडेण्ट्स लच्छीया वगैरा ने कब आदेश पारित करवा दिया। अपीलांट को जानकारी दिनांक 28/03/2023 को प्रथम बार होने से अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश की नकले मांगी तथा दिनांक 28/03/2023 को नकले प्राप्त हुई तथा अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 31/03/2023 को पूर्व बेचाण की नकल उपपंजीयक द्वितीय कार्यालय पाली से नकल ली तथा अपने अधिवक्ता से सुमेरपुर में सम्पर्क कर पूर्व में चल रहे वाद संख्या 21/2018 की प्रति प्राप्त की तथा उक्त पत्रावली से अन्य दस्तावेज प्राप्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अविलम्ब उक्त अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 4 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 5 व 6 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2015 द्वारा राजस्व लोक अदालत में जरिये राजीनामा निर्णित व डिक्री किया गया। अपीलांट अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं था। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति व विलंबकाल माफ करने के प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील दिनांक 23.05.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चाणोद के खसरा नम्बर 1658 व 1659 अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 के पूर्वजों ने दिनांक 04/04/1973 के जरिये बेचाण के खरीद कर दिनांक 25/04/1973 को पंजीयन करवाया जा चुका था एवं दोनों खसरों पर कब्जा आज भी अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 का है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के वादी एवं प्रतिवादी का उक्त भूमि पर वक्त बेचाण के बाद कोई कब्जा नहीं था एवं जिनका कब्जा था, उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के वादी व प्रतिवादी दोनों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूलवश थें, जबकि भूमि पर कब्जा नहीं होने से वे किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थें एवं न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये थें तथा तथ्य छुपाकर आदेश पारित करवाया है। अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 03 हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के कारण इस आदेश से प्रभावित है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के पंजीकृत क्रेता होने से अपीलांट का हित व अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विक्रय–विलेख की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के दिनांक 25.04.1973 से पंजीकृत क्रेता है। अतः वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजीयात में हित निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। चूंकि अपीलांट प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित, प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

3. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06/07/2015 व राजस्व वाद संख्या 27/2015 में अपीलांट पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को यह जानकारी नहीं थीं कि रेस्पोंडेण्ट्स लच्छीया वगैरा ने कब आदेश पारित करवा दिया। अपीलांट को जानकारी दिनांक 28/03/2023 को प्रथम बार होने से अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश की नकले मांगी तथा दिनांक 28/03/2023 को नकले प्राप्त हुई तथा अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 31/03/2023 को पूर्व बेचाण की नकल उपपंजीयक द्वितीय कार्यालय पाली से नकल ली तथा अपने अधिवक्ता से सुमेरपुर में सम्पर्क कर पूर्व में चल रहे वाद संख्या 21/2018 की प्रति प्राप्त की तथा उक्त पत्रावली से अन्य दस्तावेज प्राप्त कर अविलम्ब उक्त अपील पेश की जा रही हैं। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

4. हमारे विनम्र मत में उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता समाजी पुत्र नवलाजी तथा भीकाजी, रताजी पि. चिमनाजी वादग्रस्त आराजीयात के अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से पंजीकृत विक्रय–विलेख से क्रेता है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण लच्छा व दौला पुत्र मगाजी द्वारा उक्त आवश्यक व हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित किए बिना केवल हरजी पुत्र गणेश तथा प्रताप (पतिया) पुत्र गणेशजी को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए परस्पर राजीनामा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अतः अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक से जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित की गई हैं तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। लिहाजा, उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अपीलांट की लापरवाही से विलंब होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण लच्छा पुत्र मगाजी तथा दौला पुत्र मगाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रतिवादीगण हरजी पुत्र गणेश तथा प्रताप (पतिया) के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली व कब्जा प्राप्ति हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 06.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अनोपपुरा में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 25.04.1973 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान के पूर्वजों से अपीलांट के पिता समाजी पुत्र नवलाजी तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 तथा 2 क्रमशः भीका व रतिया पि. चिमनाजी द्वारा क्रय कर लिया गया। उक्त विक्रय–विलेख का नामांतरण एवं जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 25.04.1973 को ही खातेदारी अधिकार क्रेतागण को अंतरित हो चुके थें तथा क्रेतागण प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार थें। वादीगण द्वारा महज जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। जबकि प्रकरण में दिनांक 25.04.1973 से ही वादग्रस्त आराजीयात में क्रेतागण आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने से वादीगण व प्रतिवादीगण को राजीनामा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया एवं उभयपक्षकारान द्वारा बिना किसी अधिकार के राजीनामा प्रस्तुत कर विद्वान विचारण न्यायालय से अस्वच्छ हाथों से तथा बिना किसी अधिकार के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। जो किसी भी दृष्टि से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

6. यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात में दिनांक 25.04.1973 से ही क्रेतागण आवश्यक पक्षकार थें, जिन्हें पक्षकार संयोजित नहीं कर वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। उक्त निर्णय व डिक्री को राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के क्रेतागण/क्रेतागण के वारिसान द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कानूनन अपील योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2012 बउनवान लच्छीया वगैरह बनाम हरजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 25.04.1973 के क्रेतागण भीकाजी, रताजी पि. चिमनाजी एवं समाजी पुत्र नवलाजी के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व 3 को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर वादीगण से इसी अनुरूप संशोधित शीर्षक प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र का व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायाय मैन्यूअल 1956 में विहित संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली